क्रम संख्या–112 (क)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 29 जुलाई, 2019 ई0

श्रावण 07, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक)

संख्या 558 / XXIV(1) / 2019–06 / 2016

देहरादून, 29 जुलाई, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में अग्रत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।"

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 7 में संशोधन

2. उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम–7 के परन्तुक के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० प्रशिक्षण तथा अध्यापक	परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–1 उत्तीर्ण की हो

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हों, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो,	अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हों अथवा एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हों तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो,

नियम 9 में संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 9 की सारिणी के क्रम संख्या (क) में (एक) से (चार) में दी गयी शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रख दिये जायेंगे, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि; परन्तु यह कि सहायक अध्यापक, प्राथमिक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50 प्रतिशत विज्ञान एवं 50 प्रतिशत विज्ञानेत्तर के होंगे। विज्ञान विषय के पदों के अन्तर्गत 50 प्रतिशत पद स्नातक स्तर पर भौतिक विज्ञान व गणित से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु एवं 50 प्रतिशत पद स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व जन्तु विज्ञान विषय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेंगे; और विज्ञानेत्तर विषय के पदों के अन्तर्गत 25 प्रतिशत पद अंग्रेजी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु एवं 25 प्रतिशत पद हिन्दी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर हिन्दी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण व न्यूनतम इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों के लिए तथा 50 प्रतिशत पद अन्य विषय (जो विज्ञान व भाषा में सम्मिलित नहीं है) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होंगे; परन्तु यह और कि, सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है;	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि; परन्तु यह कि सहायक अध्यापक, प्राथमिक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50 प्रतिशत विज्ञान एवं 50 प्रतिशत विज्ञानेत्तर के होंगे। विज्ञान विषय के पदों के अन्तर्गत 40 प्रतिशत पद स्नातक स्तर पर भौतिक विज्ञान व गणित से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, 40 प्रतिशत पद स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व जन्तु विज्ञान विषय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों एवं 20 प्रतिशत पद ऐसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों, जो उक्त विषयों से इत्तर अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक हैं अथवा जिनके द्वारा डी०एल० एड० प्रवेश परीक्षा विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है, हेतु आरक्षित रहेंगी। विज्ञानेत्तर विषय के पदों के अन्तर्गत 15 प्रतिशत पद अंग्रेजी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों एवं 15 प्रतिशत पद हिन्दी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर हिन्दी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण व न्यूनतम इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों तथा 70 प्रतिशत पद अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक योग्यताधारियों अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा डी०एल०एड० प्रवेश परीक्षा विज्ञानेत्तर वर्ग के अन्तर्गत उत्तीर्ण की हैं, हेतु आरक्षित होंगे; परन्तु यह कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है; परन्तु यह और कि विज्ञान विषयान्तर्गत स्नातक स्तर पर किसी एक विषय संयोजन में, आवंटित पदों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे पदों को विज्ञान स्नातक के अन्य विषय संयोजन के अभ्यर्थियों से भरे जा

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	सकेंगे। इसी प्रकार विज्ञानेत्तर विषयान्तर्गत अँग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में, आवंटित पदों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे पदों को अन्य भाषा (अंग्रेजी अथवा हिन्दी) के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे।
(दो) राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संशाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड. (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी.टी.सी. के नाम से जाना जाता था) अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड./चार वर्षीय बी.एल.एड. अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।	**(दो)** राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संशाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड. (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी.टी.सी. के नाम से जाना जाता था) अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड./चार वर्षीय बी.एल.एड. अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। परन्तु यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०) द्वारा मान्यता प्राप्त हो, परन्तु यह और कि राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र, जिनके द्वारा मानव संसाधन, विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–856 दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के क्रम में दिनांक 31–03–2019 तक इस सेवा नियमावली के नियमों के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु दी गयी अर्हताऐं पूर्ण कर ली गई हैं, को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया जायेगा, परन्तु यह और कि ऐसे शिक्षा मित्र जो दिनांक 31–03–2019 तक सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं, को भविष्य में उनके द्वारा शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने की स्थिति में सेवा नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर नियुक्ति के समय शिक्षा मित्र के रूप में उनके द्वारा

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	किये गये शिक्षण अनुभव का लाभ (भारांक) दिया जायेगा। शैक्षणिक अर्हता के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के संशोधन यथावत् लागू रहेंगे।
(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा I-V के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.–I) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और,	**(तीन)** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा I-V के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (यू.टी.ई.टी.–I/सी.टी.ई.टी.–I) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और,
(चार) उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकृत /नवीनीकृत हो।	**(चार)** सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूग "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के नियम 4 के उप नियम 2 में वर्णित अपेक्षायें पूर्ण करता हो।

नियम 15 में संशोधन

4. **मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 15 के उप नियम (1) से (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात:–**

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नियुक्ति प्राधिकारियों से नियम 14 के अन्तर्गत प्राप्त सूचियों को संकलित कर समाचार पत्रों में विकास खण्ड वार विज्ञापन प्रकाशित कर सम्बन्धित जिले से विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा तथा विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा करेगा और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्तियों, जो विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों और नियुक्ति के पात्र हों, विकास खण्ड वार पृथक–पृथक श्रेष्ठता क्रमानुसार सूची तैयार करेगा,	(1) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जनपद की संकलित रिक्तियों को, जनपद स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा तथा विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन पत्रों, जो विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों, **नियम–15(6) के अनुसार** श्रेष्ठता क्रमानुसार सूची तैयार करेगा,
परन्तु यह कि उर्दू भाषा के अध्यापन के लिए इस नियमावली के नियम 6(क) में उल्लिखित पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का अन्य विषयों के साथ उर्दू में स्नातक अथवा परास्नातक योग्यताधारी होना अनिवार्य है;	परन्तु यह कि उर्दू भाषा के अध्यापन के लिए इस नियमावली के नियम 6(क) में उल्लिखित पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का अन्य विषयों के साथ उर्दू में स्नातक अथवा परास्नातक योग्यताधारी होना अनिवार्य है;
यह और कि किसी विशेष भाषा यथा उर्दू के लिए सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय	यह और कि किसी विशेष भाषा यथा उर्दू के लिए सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति हेतु सम्बन्धित भाषा की प्रविणता सिद्ध

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति हेतु सम्बन्धित भाषा की प्रविणता सिद्ध करने के लिए चयन समिति लिखित परीक्षा आयोजित कर सकती है, जिसमें तत्कालीन समसामयिक विषयों पर उस भाषा में अभ्यर्थियों से एक निबन्ध लिखवाया जायेगा। यह परीक्षा अधिकतम 100 अंक की होगी। लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होंगे, 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे;	करने के लिए चयन समिति लिखित परीक्षा आयोजित कर सकती है, जिसमें तत्कालीन समसामयिक विषयों पर उस भाषा में अभ्यर्थियों से एक निबन्ध लिखवाया जायेगा। यह परीक्षा अधिकतम 100 अंक की होगी। लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होंगे, 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे;
(2) परन्तु यह भी कि ऐसी महिला अभ्यर्थी के सम्बन्ध में जिसका सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति से पूर्व विवाह हो जाने के कारण गृह जनपद परिवर्तित हो गया हो, इस हेतु आवेदन पर सम्बन्धित मण्डल का अपर शिक्षा निदेशक (प्रा०शि०) उप महिला अभ्यर्थी का नाम प्रशिक्षण के जनपद से पृथक कर मण्डलान्तर्गत नवीन गृह जनपद की सूची में जोड़ने का आदेश देगा, परन्तु यह और कि मण्डल के बाहर के जनपद के लिए नवीन जनपद की सूची में जोड़ने का आदेश निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा ही जारी किया जायेगा।	(2) विलोपित
(3) उप नियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा–I/ केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा–I में प्राप्त प्राप्ताकों की श्रेष्ठता के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे, परन्तु यह और कि दो या दो अधिक अभ्यर्थियो की श्रेष्ठता सूची में अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि उक्त में भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की जन्मतिथि समान हो तो वर्णमाला (अंग्रेजी) के क्रम में सूची में नाम रखा जायेगा।	(3) उप नियम–1 के अधीन तैयार की गयी सूची में द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षितों के चयन हेतु अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा बी०टी०सी० अथवा डी०एल० एड० प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60 प्रतिशत तथा टी०ई०टी०–प्रथम परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत का 40 प्रतिशत के योग के अवरोही क्रम में रखें जायेंगे, जबकि बी०एड० प्रशिक्षितों के चयन हेतु अभ्यर्थियों के नाम, उनकी शैक्षिक, प्रशिक्षण योग्यता एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्त गुणांकों के योग के अनुसार प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता के अवरोही क्रम में रखें जायेगें। गुणांकों की गणना निम्नवत् की जायेगी :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

क्र स	परीक्षा/उपाधि का नाम		गुणांक
1	हाईस्कूल		अंकों का प्रतिशत×0.75 10
2	इण्टरमीडिएट		अंकों का प्रतिशत×1.5 10
3	स्नातक		अंकों का प्रतिशत×2.25 10
4	चार वर्षीय बी.एल. एड./बी.एड./डी.एड. (विशेष शिक्षा)	(क)–सिद्धान्त	अंकों का प्रतिशत×3 10
		(ख)–प्रयोगात्मक	अंकों का प्रतिशत×1.5 10
5	अध्यापक पात्रता परीक्षा–प्रथम (I-V)		अंकों का प्रतिशत×1 10

परन्तु यह और कि उत्तराखण्ड राज्य की राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र/औपबन्धिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर दिनांक 31–03–2019 को कार्यरत शिक्षा मित्र (जिनके मानदेय का भुगतान राज्य सरकार अथवा परियोजनान्तर्गत किया गया है), जो नियुक्ति हेतु पात्र हो, को शिक्षण अनुभव के प्रतिवर्ष 1.0 अंक के अनुसार, किन्तु अधिकतम 12 अंक प्रदान किये जायेंगे एवं अनुभव के कुल गुणांकों को शैक्षिक एवं प्रशिक्षण के आधार पर प्राप्त गुणांकों के साथ जोड़ते हुए श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित किया जायेगा (सेवा की गणना, संशोधित नियम–7 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान होने की स्थिति में विज्ञप्ति वर्ष की 01 जनवरी अथवा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान होने की स्थिति में विज्ञप्ति वर्ष की 01 जुलाई के अनुसार की जायेगी)

परन्तु यह और कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची में अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि उक्त में भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की जन्मतिथि समान हो तो वर्णमाला (अंग्रेजी) के क्रम में सूची में नाम रखा जायेगा।

नियम 16 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
इस नियमावली के अधीन किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी का चयन करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–	इस नियमावली के अधीन किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी का चयन करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
(क)	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र –अध्यक्ष	(क)	मुख्य शिक्षा अधिकारी –अध्यक्ष
(ख)	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) –सदस्य	(ख)	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र –सदस्य
(ग)	मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित उप शिक्षा अधिकारी –सदस्य	(ग)	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) –सदस्य सचिव
(घ)	समस्त उप शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित विकास खण्ड –सदस्य सचिव	(घ)	समस्त उप शिक्षा अधिकारी –सदस्य
(ङ)	जिला अधिकारी द्वारा नामित जिले के किसी विभाग का अधिकारी –सदस्य	(ङ)	जिला अधिकारी द्वारा नामित जिले के किसी विभाग का अधिकारी –सदस्य
परन्तु यह कि समिति के सदस्यों में यदि कोई सदस्य उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक वर्ग का न हो, तो जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी इस वर्ग से होगा।		परन्तु यह कि समिति के सदस्यों में यदि कोई सदस्य उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक वर्ग का न हो, तो जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी इस वर्ग से होगा।	

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 शिक्षा/366–2019–100+300 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–224 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2018 ई0

अग्रहायण 23, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक)

संख्या 1148/XXIV(1)/2018–06/2016

देहरादून, 14 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में अग्रत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।"

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2018 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 में संशोधन

2. उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम–3 के खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् –

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
'नियुक्ति प्राधिकारी' से सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय के सन्दर्भ में उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) और प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय आदर्श	'नियुक्ति प्राधिकारी' से सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अभिप्रेत है;

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अभिप्रेत है;	

नियम 5 में संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम 5 के उपनियम (1) व (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) प्रत्येक विकास खण्ड के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों का सेवा का एक संवर्ग होगा।	(1) प्रत्येक जनपद के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापकों और राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का सेवा का एक संवर्ग होगा;
(2) राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापक और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का प्रत्येक जनपद के लिए सेवा का एक संवर्ग होगा; परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व नियुक्त अध्यापकों का पूर्व की भांति जनपद संवर्ग यथावत रहेगा।	(2) विलोपित

नियम 7 में संशोधन

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
4. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए;	सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते है, तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते है, तो उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए,
परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किया जाय;	परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किया जाय;
परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी.टी.सी. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो।	परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी.टी.सी. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो।

नियम 9 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम 9 के उपनियम (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात –

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम			स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम		
क्र. सं.	पद		क्र. सं.	पद	
(क)	सहायक अध्यापक / अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि; परन्तु यह कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होगा अनिवार्य है; (दो) सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी0एल0एड0 (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी0टी0सी0 के नाम से जाना जाता था)	(क)	सहायक अध्यापक / अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि; परन्तु यह कि सहायक अध्यापक, प्राथमिक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50 प्रतिशत विज्ञान विषय एवं 50 प्रतिशत विज्ञानेत्तर विषय के होंगे। विज्ञान विषय के पदों के अन्तर्गत 50 प्रतिशत पद स्नातक स्तर पर भौतिक विज्ञान व गणित से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु एवं 50 प्रतिशत पद स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व जन्तु विज्ञान विषय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेंगे; और विज्ञानेत्तर विषय के पदों के अन्तर्गत 25 प्रतिशत पद अंग्रेजी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु एवं 25 प्रतिशत पद हिन्दी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर हिन्दी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण व न्यूनतम इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों के लिए तथा 50 प्रतिशत पद अन्य विषय (जो विज्ञान व भाषा में सम्मिलित नहीं है) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होंगे; परन्तु यह और कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है; (दो) राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड. (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी.टी.सी. के नाम से जाना जाता है) अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल. एड./चार वर्षीय बी.एल.एड.

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
अथवा	अथवा
राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण शिक्षा मित्र और	50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा
	और
(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा–I-V के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0–I) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।	(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा–I-V के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.–I) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और,
	(चार) आवेदक उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकृत/नवीनीकृत हो।

नियम 13 का संशोधन

6. मूल नियमावली के नियम 13 के उपनियम (02) में परन्तुक के पश्चात निम्नवत परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात् –

परन्तु यह और कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016(अधिनियम सं0 49, वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

नियम 15 का संशोधन

7. (क) मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 15 के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात् –

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा बी0टी0सी0 अथवा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60 प्रतिशत तथा टी0ई0टी0–1 परीक्षा में प्राप्त प्राप्ताकों के प्रतिशत का 40 प्रतिशत के योग के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे।	(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा–I/केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा–I में प्राप्त प्राप्ताकों की श्रेष्ठता के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे;
	परन्तु यह और कि दो या दो अधिक अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची में अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि उक्त में भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की जन्मतिथि समान हो तो वर्णमाला (अंग्रेजी) के क्रम में सूची में नाम रखा जायेगा।

नियम 15 में संशोधन

(ख) मूल नियमावली में नियम 15 (5) के पश्चात उपनियम (6) निम्नवत अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा अर्थात् –

(6) नियमावली के नियम 9(क) के अनुसार योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रथम वरीयता द्विवर्षीय डी.एल.एड./चार वर्षीय बी.एल.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दी जायेगी। डी.एल.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही बी.एड./शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व में समान पद पर कार्यरत है, (अर्थात राज्यान्तर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत) वे समान पद पर पुनः अभ्यर्थन (Apply) हेतु अर्ह नहीं होंगे।

नियम 31 का विलोपन

8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 31 के उपनियम 03 को स्तम्भ–2 के अनुसार विलोपित कर दिया जायेगा अर्थात् –

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
01. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23.08.2010/25.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 29–07–2011/02–08–2011 के पैरा–3 के खण्ड–1 के उपखण्ड–क में उल्लिखित न्यूनतम अर्हताधारी (बी.एड. टी.ई.टी. (I-V) उत्तीर्ण) अभ्यर्थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) की अधिसूचना संख्या–1809 दिनांक 11.09.2014/12.08.2014 द्वारा निर्धारित तिथि 31.03.2016 तक सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, परन्तु यह कि सहायक अध्यापक (उर्दू) के पद हेतु उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियामवली–2012 के नियम–9(क)(दो) के अनुसार प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय एवं एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त बी.एड. एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा (I-V) अर्हताधारी अभ्यर्थी भी नियम–15(1) के प्रस्तर–3 के प्रतिबन्ध सहित नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, परन्तु यह भी कि ऐसे अभ्यर्थियों की वर्णित पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम–15(1) अभ्यर्थियों का राज्य स्तर पर चयन किया जायेगा। चयन प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता एवं गुणांकों की श्रेष्ठता के आधार पर किया जायेगा। गुणांकों की गणना संलग्नक–1 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार की जायेगी, परन्तु यह और कि उपरोक्त चयन हेतु निर्धारित अर्हताओं एवं समयावधि के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय– समय पर जारी अधिसूचना/आदेश भविष्य में शासन के प्रशासनिक विभाग के शासनादेशों द्वारा लागू किये जा सकेंगे, राज्य स्तरीय चयन के पश्चात सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन आधार पर संस्तुत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जायेगी।	विलोपित

नियम 32 का विलोपन

9. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 32 को स्तम्भ–2 के अनुसार विलोपित कर दिया जायेगा अर्थात् –

	स्तम्भ–1 वर्तमान नियम			स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
क्र. सं.	पद		शैक्षिक अर्हता	
(क)	सहायक अध्यापक/ अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	1.	भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परन्तु सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है	विलोपित
		2.	राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान /जिला संसाधन केन्द्र से दो वर्षीय बी0टी0सी0 उत्तीर्ण,	
		3.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक F. 62-4/2011 /NCTE/ N&S/A 83026 दिनांक 17.02.14 द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम से मुक्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र अथवा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी0एल0एड0 उत्तीर्ण एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक पात्रता परीक्षा से मुक्त शिक्षा मित्र	
			अर्हताओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश भविष्य में शासन के प्रशासनिक विभाग के शासनादेशों द्वारा लागू किये जा सकेंगे।	

आज्ञा से,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 शिक्षा/734–2018–100+300 (कम्प्यूटर/रीजियो)।